हिमाचल प्रदेश चौदहवीं विधान सभा

अष्टम् सत्र

समाचार भाग-1

संख्याः 62

वीरवार, 13 मार्च, 2025/22 फाल्गुन, 1946(शक्)

सदन की कार्यवाही का संक्षिप्त अभिलेख

समयः 11.00 बजे (पूर्वाह्न)

सदन की बैठक माननीय अध्यक्ष श्री कुलदीप सिंह पठानिया जी की अध्यक्षता में 11.00 बजे पूर्वाह्न आरम्भ हुई।

1. प्रश्नोत्तर

(I) तारांकित प्रश्न

तारांकित प्रश्न संख्याः 2167(स्थगित) के उत्तर पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गए तथा उप-मुख्य मंत्री द्वारा उत्तर दिए गए। तारांकित प्रश्न संख्याः 2434 के उत्तर पर संबंधित सदस्य द्वारा संतुष्टि व्यक्त की गई। अतः अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछा गया। तारांकित प्रश्न संख्याः 2435 से 2437 तक के उत्तर पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गए तथा संबंधित मंत्रियों द्वारा उत्तर दिए गए।

माननीय अध्यक्ष द्वारा टिप्पणी

"मेरा सभी माननीय सदस्यों से निवेदन है कि प्रश्न काल का समय बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। अगर कोई भी माननीय सदस्य जानकारी लेना चाहता है तो बीच में दूसरे सदस्य को व्यवधान पैदा न करे। अगर प्रश्न अनुचित होगा तो मैं रिजैक्ट करूंगा क्योंकि this is my prerogative. You are not to suggest that कि किसी सदस्य को क्या पूछना चाहिए और क्या नहीं पूछना है। प्रश्न काल के समय कोई व्यवस्था का प्रश्न भी नहीं होता है।"

तारांकित प्रश्न संख्याः 2438 से 2441 तक के उत्तर पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गए तथा संबंधित मंत्रियों द्वारा उत्तर दिए गए।

(माननीय उप-मुख्य मंत्री द्वारा प्रश्न संख्याः 2441 के उत्तर से असंतुष्टि व्यक्त करते हुए विपक्ष के सदस्यगणों ने अपने-अपने स्थान पर खड़े होकर विरोध प्रकट किया एवं सदन से बाहर चले गए।)

अध्यक्ष द्वारा व्यवस्था

"जो प्रश्न के उत्तर में लिखा है कि सूचना एकत्रित की जा रही है यह सभी सरकारों में होता है और यह एक प्रक्रिया है। जो माननीय सदस्य का अंतिम अनुपूरक प्रश्न है वह तो उचित है लेकिन जो पहले वाला अनुपूरक प्रश्न है उसकी प्रश्न काल में प्रासंगिकता नहीं बनती है। अभी माननीय सदस्य ने कहा कि इनके पास इस बारे में सूचना है तो मैंने कहा कि उसे सभा पटल पर रख दीजिए, हम सूचना की जांच करवाएंगे। जो माननीय उप-मुख्य मंत्री जी कह रहे है कि अभी सूचना एकत्र की जा रही है, यह इनका अधिकर-क्षेत्र है। जब दोनों सूचनाएं हमारे पास होंगी तो पता लग जाएगा कि कौन ठीक और कौन गलत बोल रहा है। अभी हम इस पर कोई निर्णय नहीं दे रहे हैं और अभी कोई भी माननीय सदस्य बोलने के लिए हाथ ऊपर न उठाएं क्योंकि यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। This is Question Hour and I am giving some Ruling."

तारांकित प्रश्न संख्याः 2442 के उत्तर पर अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछा गया।

माननीय उप मुख्य मंत्री ने सदन में विपक्ष द्वारा किए गए व्यवहार की कड़े शब्दों में निंदा की। उन्होंने कहा कि यह सदन की उच्च परम्पराओं के खिलाफ है क्योंकि इस सदन की अपनी गरिमा है। विपक्ष के लोग सदन में आने से पहले ही अपना मन बनाकर आए थे कि इन्होंने सदन से बाहर जाना है। अभी सरकार के पास प्रश्न से संबंधित सूचना नहीं है और जब सूचना प्राप्त होगी तभी दी जाएगी।

Ruling by the Speaker

"The protest of the Opposition Members is uncalled for and it will not form a part of the record. Because I have already given rulings. This is the right of the Government to seek information and as and when the information will be available it will be given to the Members. This protest is uncalled for and against the rules also and for which I am not taking cognizance at the moment."

तारांकित प्रश्न संख्याः 2443 के उत्तर पर अनुपूरक प्रश्न पूछा गया तथा संबंधित मंत्री द्वारा उत्तर दिया गया। तारांकित प्रश्न संख्याः 2444 से 2448 के उत्तर पर सदस्यों की अनुपस्थिति के कारण अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछे गए। तारांकित प्रश्न संख्याः 2449 के उत्तर पर सदन का समय पूरा हो जाने के कारण अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछा गया। तारांकित प्रश्न संख्याः 2450 से 2472 तक के उत्तर संबंधित मंत्रियों द्वारा दिए गए समझे गए।

(II) अतारांकित प्रश्न

अतारांकित प्रश्न संख्याः 1091 से 1105 तक के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

2. कागज़ात सभा पटल पर

(1) **श्री मुकेश अग्निहोत्री, उप-मुख्य मन्त्री (प्राधिकृत)**ने हिमाचल प्रदेश के आर्थिक सर्वेक्षण, वर्ष 2024-25 की प्रति सभा पटल पर रखी।

(2) **श्री अनिरूद्ध सिंह, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मन्त्री** ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 की धारा 17 (1) के अन्तर्गत, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के सामाजिक अंकेक्षण का वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2019-20, 2021-22, 2022-23, 2023-24 (विलम्ब के कारणों सहित) की प्रति सभा पटल पर रखी।

3. सदन की समिति के प्रतिवेदन

(1) **श्री मोहन लाल ब्राक्टा, सभापति, कल्याण समिति** (वर्ष 2024-25) ने समिति के निम्न प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित की तथा सदन के पटल पर रखीः-

(1) समिति का 35वां कार्रवाई प्रतिवेदन (चौदहवीं विधान सभा) जोकि प्रदेश में संचालित "बाल संरक्षण सेवाएं उप-योजना" की गतिविधियों की संवीक्षा पर आधारित सप्तम् मूल प्रतिवेदन (वर्ष 2022-23) में निहित सिफारिशों/टिप्पणियों के प्राप्त विभागीय उत्तरों पर आधारित तथा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग से सम्बन्धित है; और

(2) समिति का 36वां कार्रवाई प्रतिवेदन (चौदहवीं विधान सभा) जोकि प्रदेश में संचालित "हिमाचल प्रदेश अल्प संख्यक वित्त एवं विकास निगम" की योजनाओं से सम्बन्धित गतिविधियों की संवीक्षा पर आधारित पंचम् मूल प्रतिवेदन (वर्ष 2022-23) में निहित सिफारिशों/टिप्पणियों के प्राप्त विभागीय उत्तरों पर आधारित तथा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग से सम्बन्धित है।

(2) **श्री बिक्रम सिंह, सदस्य, मानव विकास समिति** (वर्ष 2024-25) ने समिति के निम्न प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित की तथा सदन के पटल पर रखीः-

(1) समिति का 25वां प्रतिवेदन (चौदहवीं विधान सभा) जोकि युवा सेवाएं एवं खेल विभाग से सम्बन्धित आश्वासनों के कार्यान्वयन पर आधारित है; और

(2) समिति का 26वां कार्रवाई प्रतिवेदन (चौदहवीं विधान सभा) जोकि योजना विभाग की गतिविधियों से सम्बन्धित समिति के तृतीय मूल प्रतिवेदन (चौदहवीं विधान सभा) (वर्ष 2023-24) में निहित सिफ़ारिशों पर सरकार द्वारा कृत कार्रवाई पर आधारित है।

4. विधान सभा कार्य-सलाहकार समिति का प्रतिवेदन

श्री सुख राम चौधरी, सदस्य ने कार्य- सलाहकार समिति का दशम् प्रतिवेदन (चौदहवीं विधान सभा) सभा में उपःस्थापित किया तथा स्वीकृति हेतु प्रस्ताव भी किया।

प्रस्ताव स्वीकार

5. माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा एवं पारण

निम्नलिखित ने धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा में भाग लिया -

1. **श्री सुरेन्द्र शौरी**
2. **श्री केवल सिंह पठानिया**
3. **श्री बिक्रम सिंह**

माननीय सदस्य द्वारा चर्चा के दौरान दूध की कीमतों के बारे में टिप्पणी करने पर माननीय मुख्य मंत्री ने इस पर सरकार का पक्ष रखा।

माननीय सदस्य द्वारा चर्चा के दौरान ज़िक्र करने पर कि पी0डब्ल्यू0डी0 विभाग में जे0ई0 और एस0डी0ओ0 की भर्ती बंद कर दी गई है, पर माननीय मुख्य मंत्री ने वास्तविक वस्तुस्थिति से अवगत करवाया।

माननीय सदस्य द्वारा चर्चा के दौरान लोक निर्माण विभाग के जसवां प्रागपुर मण्डल व पोलिटैक्निक कॉलेज के बारे में चर्चा करने पर लोक निर्माण मंत्री तथा नगर एवं ग्राम योजना मंत्री ने स्थिति स्पष्ट की।

(**1.00 बजे अपराह्न सदन की बैठक भोजनावकाश के लिए 2.00 बजे अपराह्न तक स्थगित हुई।**)

(**भोजनावकाश के उपरान्त 2.05 बजे अपराह्न सदन की बैठक माननीय अध्यक्ष श्री कुलदीप सिंह पठानिया की अध्यक्षता में पुनः आरम्भ हुई।**)

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि 4.00 बजे अपराह्न माननीय मुख्य मंत्री जी ने अभिभाषण पर हुई चर्चा का उत्तर देना है इसलिए प्रत्येक सदस्यगण निर्धारित समय-सीमा में रहकर चर्चा करें।

धन्यवाद प्रस्ताव पर आगे चर्चा जारी -

4. श्री कुलदीप सिंह राठौर
5. श्री विनोद कुमार

माननीय सदस्य द्वारा चर्चा के दौरान जिक्र करने पर कि जल शक्ति और परिवहन विभाग के कर्मचारियों को ओ0पी0एस0 की सुविधा नहीं दी गई है, पर माननीय उप-मुख्य मंत्री ने बताया कि यह सुविधा अब दोनों विभागों में लागू है।

6. श्री सुन्दर सिंह ठाकुर
7. श्री त्रिलोक जम्वाल

माननीय सदस्य द्वारा चर्चा के दौरान बिलासपुर में स्थित एम्स के बारे में टिप्पणी करने पर माननीय मुख्य मंत्री ने वस्तु-स्थिति से सदन को अवगत करवाया।

8. श्री विवेक शर्मा(विक्कू)

(**03.30 बजे अपराह्न उपाध्यक्ष महोदय पदासीन हुए।**)

9. श्री आशीष शर्मा

(**3.35 बजे अपराह्न अध्यक्ष महोदय पदासीन हुए।**)

10. श्री संजय रत्न
11. डॉ0 जनक राज

माननीय मुख्य मंत्री ने चर्चा का उत्तर देना शुरू किया।

(विपक्ष के सभी सदस्यगण माननीय मुख्य मंत्री के उत्तर से असंतुष्टि व्यक्त करते हुए विरोध-स्वरूप अपने-अपने स्थान पर खड़े हुए तथा कुछ क्षण उपरान्त सदन से बहिर्गमन कर गए।)

Ruling by the Speaker

"There is no cause for any protest as the Hon'ble Chief Minister was replying to the debate and he is in his full right to explain each and everything whatever have been said by the Opposition. So there was no cause to walk out because I gave a chance to the Opposition Leader to explain. They walked out without any reason."

संसदीय कार्य मंत्री ने विपक्ष के रवैये की कड़े शब्दों में निन्दा करते हुए कहा कि विपक्ष का यह व्यवहार उनकी हताशा को दर्शाता है। नेता प्रतिपक्ष द्वारा सदन में जिस तरह के असंसदीय शब्दों का इस्तेमाल किया गया है वह उन्हें शोभा नहीं देता है जबकि माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा दोनों पक्षों के सदस्यों को चर्चा हेतु माकूल समय दिया जा रहा है। चर्चा का उत्तर देना माननीय मुख्य मंत्री जी का अधिकार है लेकिन विपक्ष के लोगों में सच्चाई सुनने की क्षमता नहीं है इसलिए ये बार-बार सदन से बाहर चले जाते हैं जोकि निंदनीय है।

(माननीय मुख्य मंत्री के उत्तर के बीच ही सदन की बैठक का समय 5.40 बजे अपराह्न तक बढ़ाया गया।)

माननीय मुख्य मंत्री ने उत्तर पूर्ण किया।

माननीय अध्यक्ष ने मतदान हेतु प्रस्ताव सभा में प्रस्तुत किया कि राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर निम्न शब्दों में उनकी सेवा में धन्यवाद प्रस्ताव पेश किया जाए -

> **"इस सदन में एकत्रित सदस्य, माननीय राज्यपाल महोदय का, दिनांक 10 मार्च, 2025 को उन्हें सम्बोधित करने के लिए हृदय से आभार प्रकट करते हैं।"**

प्रस्ताव स्वीकार हुआ।

राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पारित हुआ।

05.30 बजे अपराह्न सदन की बैठक सोमवार, 17 मार्च, 2025 के 11.00 बजे पूर्वाह्न तक स्थगित हुई ।